न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 243/16 (वाद)
GCMS No. : 2016/00376

1. श्री सज्जनसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तह. मावली।

...........वादी

बनाम्

1. श्री डुल्हेसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत तह. मावली।

..............प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री जितेन्द्रसिंह झाला, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी., आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 27.01.2023

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 3829/257 रकबा 4 बिस्वा होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम खातेदारी हक से अंकित हैं। उक्त भूमि वादी की स्वअर्जित हैं। वादी एवं प्रतिवादी दोनों सगे भाई है एवं वादी एवं प्रतिवादी के मध्य दिनांक 23.12.05 को एक इकरारनामा निष्पादित हुआ जिसमें इस वाद की कलम सं. 1 में वर्णित वादी के खातेदारी की आराजी नम्बर 3829/257 रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी को देना तय रहा एवं इस आराजी नम्बर 3829/257 के प्रतिफल स्वरूप वादी एवं प्रतिवादी की पुश्तैनी जमीन जिस पर वादी प्रतिवादी के मौरूसों का पुश्तैनी मकान बना हुआ था जो बंटवाडे से प्रतिवादी के हिस्से में आयी जिसके पडोस पूर्व में रास्ता छोडते हुए आम रास्ता, पश्चिम प्रतिवादी का बाडा, उत्तर भोपाल सिंह राजपूत की कृषि भूमि, दक्षिण आम रास्ता है, वादी को देना तय रहा। उक्त चारों पडौसों के मध्य की भूमि आराजी नम्बर 257 रकबा 5 बिस्वा हैं। वादी द्वारा पैतृक सम्पति होना बताकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. व आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वादपत्र में यह कथन प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी आपस मे सगे भाई होकर दोनों के मध्य दिनांक 23.12.05 को इकरारनामा निष्पादित हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

व उक्त इकरार नामें से आराजी नम्बर 3829/257 रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी डूलेसिंह को देना तय हुआ हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी द्वारा भूमि पंजीकृत कराने हेतु अपने अधिवक्ता के मार्फत वादी को नोटिस भिजवाने व वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादी को नोटिस भिजवाने के कथन अंकित किए हैं। प्रतिवादी डुलेसिंह ने वादी सज्जनसिंह के विरूद्व एक वाद बाबत् संविदा की विर्निष्ट पालना कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश मावली के समक्ष पेश कर रखा है। जिसमें वादी सज्जनसिंह द्वारा अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया है व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी यथास्थित का अन्तरिम आदेश पारित हो चुका हैं।

2. यह कि उक्त वाद पत्र व कनिष्ठ सिविल न्यायालय मावली में विचाराधीन प्रकरण में दोनों पक्षकार एक ही होकर दोनों ही प्रकरण में वादग्रस्त आराजी व ईकरार नामा दिनांक 23.12.2005 एक ही होकर विवाद विषय एक ही हैं। जिससे इस प्रकरण को इसी स्टेज पर न्यायहित में रोक दिया जाना आवश्यक है। उक्त वाद में दोनों पक्षकारागण के मध्य दिनांक 23.12.2005 को इकरारनामा निष्पादित होने का कथन अंकित है उक्त इकरार की पालना का वाद आप न्यायालय में चलने योग्य नहीं है व इस बाबत् प्रतिवादी डुलेसिंह ने सक्षम न्यायालय में इकरार की पालना का वाद पेश कर रखा है जिसमें वादी सज्जनसिंह ने अपना जवाब दावा भी पेश कर दिया है जिससे भी उक्त वाद विधि अनुसार आप न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से काबिल निरस्त होने योग्य हैं। अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद निरस्त फरमाया जावें।

3. अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी डुलेसिंह द्वारा वादी के विरूद्व सिविल न्यायाधीश मावली में वाद पेश करने का कथन सही है लेकिन वादी ने माननीय न्यायालय में उक्त वाद पेश करने के बाद प्रतिवादी डुलेसिंह द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायालय मावली में वाद पेश किया गया हैं। वाद विषय एक ही आराजी का होना स्वीकार है पहले प्रस्तुत हुए वाद के बाद प्रस्तुत किया वाद नहीं चल सकता है। माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादी ने माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश किया है जिससे सिविल न्यायालय का वाद नहीं चल सकता है और माननीय न्यायालय में चल रहे वाद की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता हैं। वादी का वाद विधि अनुसार आप माननीय न्यायालय को वाद के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद [illegible] द्वारा जांच कर वाद को स्वीकार किया गया है। शेष तथ्य साक्ष्य के बिन्दु [illegible] जो [illegible] कीयात कायम होने के बाद दोनों पक्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

की साक्ष्य होने के बाद ही निर्णित किये जा सकते हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावें।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेज पेश कर प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. व आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी/अप्रार्थी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् बेदखली का प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज हैं। वादी/अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वअर्जित होना बताया हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज माननीय सिविल न्यायाधीश मावली के प्रकरण संख्या 03/17 डुलेसिंह बनाम सज्जनसिंह के आदेश दिनांक 04.03.2017 के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को [illegible] हुआ हैं। वादपत्र एवं दस्तावेज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन से वादी/अप्रार्थी एवं प्रतिवादी/प्रार्थी दोनो सगे भाई है एवं दोनो भाईयों के बीच दिनांक 23.12.2005 को 100/– रूपये स्टाम्प पर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् इकरारनामा सम्पादित किया गया हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् माननीय सिविल न्यायाधीश मावली में प्रकरण संख्या 03/17 डुलेसिंह बनाम सज्जनसिंह विचाराधीन होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2017 से उभय पक्ष को विवादित स्थल के संबंध में मौके की यथास्थिति रेकार्ड के अनुसार बनाए रखने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया हैं। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भी उक्त आराजीयात बाबत ईकरारनामा सम्पादित किया हुआ है एवं उक्त ईकरारनामें के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर माननीय सिविल न्यायालय को हैं। वादी को ईकरारनामें की प्रमाणिकता/अवैधता हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना था। अतः वादी का वाद बेदखली का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सज्जनसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत डबोक तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री डुल्हेसिंह पिता केशरसिंह राजपूत निवासी बामणियाखेत तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 243/16 (वाद) GCMS No. : 2016/00376

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.01.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested